

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक 9.9.2011

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किये जाते हैं :-

क्र.सं	वरियता सं	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	83/05	श्री राधेश्याम जाट प्रधानाचार्य, राजकीय पौद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर, जयपुर	IIA/43, गांधीनगर (ए-103, जवाहरनगर के स्थान पर)	31.7.2020
2.	29/08	श्रीमती राजेश रानी माथुर व्याख्याता, राजनैतिक विज्ञान, राजकीय पी. सिनियर सैकण्डरी स्कूल, गांधीनगर, जयपुर	IIA/106, गांधीनगर (15/56 मालवीयनगर के स्थान पर)	30.6.2022
3.	123/08	श्री श्याम सिंह नर्स ग्रेड-III, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर 13/III/सी बहुमंजिला आवास गांधीनगर जयपुर	3/IIA/डी, बहुमंजिला गांधीनगर (13/III/सी बहुमंजिला के स्थान पर)	31.7.2026
4.	145/08	श्री सतीश प्रकाश माथुर निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता ग्रामीण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, 2, सिविल लाईन, जयपुर	9/IIA/सी, बहुमंजिला गांधीनगर	30.4.2025
5.	25/09	श्रीमती मञ्जुरानी जाजू कनिष्ठ लेखाकार, कृषि निदेशालय कृषि विभाग, कृषि भवन, जयपुर।	IIA/19, गांधीनगर	31.12.2018
6.	37/09	श्री बाबूलाल शर्मा मेल नर्स, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	2/IIA/ए, बहुमंजिला गांधीनगर	31.12.2020
7.	42/09	श्रीमती कृष्ण कान्ता शर्मा अधीक्षक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर।	17/IIA/सी, बहुमंजिला गांधीनगर	30.11.2033
8.	65/09	श्री उत्तम सिंह मुख्य विधि सहायक, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक(विधि) एन.वी.डी. स्कूल परिसर सी-स्कूल, जयपुर।	IIA/91, गांधीनगर	30.6.2025
9.	74/09	श्री गौरी शंकर शर्मा कनिष्ठ लेखाकार, निदेशालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग वित्त भवन, जयपुर।	ई-920, गांधीनगर	31.7.2023
10.	81/09	श्री बृज सुन्दर शर्मा वरिष्ठ निजी सहायक, आतिरेवत मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	IIA/104, गांधीनगर	31.5.2019
11.	87/09	डॉ० गोविन्द यादव पशु चिकित्सा अधिकारी प्रभावीकरण अनुभाग बी.पी.लैव, पशुचिकित्सा विभाग, जाम डोली, आगरा रोड, जयपुर	IIA/22, गांधीनगर	30.6.2032
12.	93/09	श्री सुरेश कुमार मोटवानी सहायक अनुभागाधिकारी, कार्मिक (ग)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	IIA/36, गांधीनगर	31.10.2013

13.	94/09	श्रीमती प्रवीणा चारण अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	III/69, गांधीनगर	30.9.2033
14.	97/09	श्री वीरेन्द्र सिंह पुरोहित सांख्यिकी सहायक, कार्यालय उप शासन सचिव, वित्त (संस्थागत वित्त) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	III/72, गांधीनगर	30.6.2017
15.	4/2010	श्री आशाराम मीणा कनिष्ठ अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, उपखण्ड प्रतापनगर, जयपुर	15/69, मालवीयनगर	31.7.2025
16.	91/2010	श्रीमती हेमलता अग्रवाल व्याख्याता (रा.वि.) महाराजा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी चौपड, जयपुर	ए-69, जवाहरनगर (ए-71, जवाहरनगर के स्थान पर)	31.8.2041
17.	55/2011	डॉ० आरीफ छीपा चिकित्सा अधिकारी, सी.ए.एस.पी.जी शिशु भेषक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-6, जवाहरनगर (ए-65, जवाहरनगर के स्थान पर)	31.1.2041
18.	70/2011	डॉ० रामस्वरूप सी.ए.एस.पी.जी. सर्जरी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-19, जवाहरनगर (जीए/III/टी-2/ 32 विद्याधरनगर के स्थान पर)	30.6.2035
19.	71/2011	डॉ० विकास कुमार बंसल सी.ए.एस.पी.जी, सर्जरी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-88, जवाहरनगर (जीए/III/टी-2/ 40 विद्याधरनगर के स्थान पर)	31.12.2038
20.	74/2011	श्री विजेन्द्र सिंह प्राध्यापक डिप्लोमा इन फार्मसी कोर्स जन.स्वा.प्रशिक्षण संस्थान भवन सवाई मानसिंह चिकित्सालय परिसर, जयपुर।	15/24, मालवीयनगर	31.12.2039
21.	75/2011	श्री भवानी सिंह बीटू प्राध्यापक डिप्लोमा इन फार्मसी कोर्स जन.स्वा.प्रशिक्षण संस्थान भवन सवाई मानसिंह चिकित्सालय परिसर, जयपुर।	15/48, मालवीयनगर	30.11.2044
22.	76/2011	डॉ० सुरेन्द्र पाल मौर्य चिकित्सा अधिकारी, शल्य विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-99, जवाहरनगर	31.7.2039
23.	77/2011	डॉ० शिमला मीना चिकित्सा अधिकारी ऐनेस्थिसिया, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-152, जवाहरनगर	31.7.2036
24.	78/2011	श्री नगेन्द्र सिंह भदौरिया चिकित्सा अधिकारी सर्जरी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	15/70, मालवीयनगर	31.8.2040
25.	79/2011	डॉ० पवन कुमार बंसल चिकित्सा अधिकारी, सीएएस पीजी, सर्जरी सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	15/72, मालवीयनगर	31.7.2041
26.	96/2011	श्री मुकेश कुमार मीणा आर.ए.एस. उप संस्थापक अधिकार, विभागीय जांच, शासन सचिवालय, जयपुर (नीतिगत निर्णय)	III/115 एवीएस गांधीनगर	31.1.2035

27.	108/2011	डॉ० इन्दिरा चौधरी कृषि अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि आदान, राजस्थान, जयपुर।	जोर/गा/टी-2/ 16 विद्याधरनगर	30.9.2043
-----	----------	---	--------------------------------	-----------

शर्त:-

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूली होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटनी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटनी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
8. आवंटनी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी :-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नी व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. कम संख्या -3 पर अंकित श्री श्याम सिंह से कॉमन सुविधा राशि रुपये 225/- (अक्षरें रुपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
10. कम संख्या -4 पर अंकित श्री सतीश प्रकाश माथुर से कॉमन सुविधा राशि रुपये 225/- (अक्षरें रुपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
11. कम संख्या -6 पर अंकित श्री बाबूलाल शर्मा से कॉमन सुविधा राशि रुपये 225/- (अक्षरें रुपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
12. कम संख्या -7 पर अंकित श्रीमती कृष्ण कान्ता शर्मा से कॉमन सुविधा राशि रुपये 225/- (अक्षरें रुपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
13. कम संख्या -26 पर अंकित श्री मुकेश कुमार मीणा से कॉमन सुविधा राशि रुपये 225/- (अक्षरें रुपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
14. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

आज्ञा से




(मनफूल बेरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, शिक्षा संकुल, जयपुर।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय पौद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय पी. सिनियर रीकण्ड्री स्कूल, गांधीनगर, जयपुर।
9. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
10. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
11. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
13. आयुक्त, कृषि निदेशालय, कृषि पंत भवन, जयपुर।
14. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. अधीक्षक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर।
16. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) एनवीडी स्कूल परिसर, सी-स्कीम, जयपुर।
17. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
18. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।

20. प्रभारी अधिकारी, प्रभावीकरण अनुभाग बी.पी. लैब पशुपालन विभाग, जामडौली, जयपुर।
21. आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
22. शासन उप सचिव, वित्त (संस्थागत वित्त) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
23. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
24. सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड प्रतापनगर, जयपुर।
25. प्रधानाचार्य, महाराजा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी चौपड, जयपुर।
26. प्रभारी अधिकारी, डिप्लोमा इन फॉर्मसी कोर्स, जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान भवन, सवाई मानसिंह चिकित्सालय परिसर, जयपुर।
27. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
28. कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि आदान, राजस्थान, जयपुर।
29. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावे।
30. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि० गौधीनगर/जवाहरनगर/मालवीयनगर/विद्याधरनगर, जयपुर।
31. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गौधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवे तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावे।
32. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवे तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावे।
33. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
34. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावे।
35. संबंधित अधिकारीगण।
36. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-5) विभाग।
37. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
38. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग।
39. रक्षित पत्रावली।

  
 शासन सहायक सचिव